

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- २२५४ /अमरोहा/19948/2016, दिनांक, लखनऊ, मई ०५, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : अमरोहा में बदायूँ-बिजनौर मार्ग (NH-51) के किमी० 113.100 की दायीं पट्टी पर ग्राम-निजामपुर शर्की के खसरा सं०-79 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पतन की अनुमति।

सन्दर्भ: उ०प्र०शासन का पत्रांक-पी-149/14-2-2016-800(148)/2016, दि० 12.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा कतिपय सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त सूचनायें सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थीं।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक-2906/14-1, दिनांक 21.04.2017 द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। जिसकी एक प्रति एतत्सह संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वाई०एस०के०शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- / , उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।

(वाई०एस०के०शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।